

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29012022-232987
SG-DL-E-29012022-232987

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 399
No. 50]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943	[N. C. T. D. No. 399

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

F. No. 32/CFD/TC/Online/Felling/2021-22/9883-90.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 38.7524 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	परियोजना स्थल पर वृक्षों की कुल संख्या	बचाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
			प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु।	2980	2059	885	25+ 11 (सूखे वृक्ष)	921	9210
योग	2980	2059	885	36	921	9210

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. रेल भूमि विकास प्राधिकरण, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 5,18,70,000/- रुपये (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (921 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात् 9210 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का साइट-I, यमुना बैंक के पास अतिरिक्त रेलवे भूमि (4500 पौधों) और उसी परियोजना स्थल (4710 पौधों) पर किया जाएगा।	9210	5,18,70,000/-	उप- वन संरक्षक (केन्द्रीय)/वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 885 वृक्षों का प्रत्यारोपण उसी परियोजना स्थल में स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 9210 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
3. 921 वृक्षों के प्रत्यारोपण/ काटे किए जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 9210 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के छः महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
4. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
5. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
6. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि सम्बंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है।
7. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
8. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में सम्बंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
9. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वृक्ष अधिकारी (केन्द्रीय) को प्रस्तुत की जाएगी।
10. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
11. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
12. 921 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

13. उपभोगी संस्था द्वारा 36 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। 36 वृक्षों की अनुमति 885 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और उप-वन संरक्षक (केन्द्रीय) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को कटाई/प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
15. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
16. प्रतिरोपण/ कटाई की प्रगति रिपोर्ट निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से संबंधित वृक्ष अधिकारी को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
17. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक कि पक्षी उसे छोड़ न दें।
18. उपभोगी संस्था द्वारा 921 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।
19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (केन्द्रीय) को भी दी जाएगी।
21. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (केन्द्रीय) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
22. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।
23. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
24. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2022

F. No. 32/CFD/TC/Online/Felling/2021-22/9883-90.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 38.7524 ha. approx. as detailed below for redevelopment of New Delhi Railway Station, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Total number of trees at the project site	Number of trees to be saved	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
			Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Redevelopment of New Delhi Railway Station, New Delhi.	2980	2059	885	25+ 11 (dry	921	9210

				trees)		
Total	2980	2059	885	36	921	9210

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Rail Land Development Authority (RLDA), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs.5,18,70,000 /- (Rs. Five Crores Eighteen Lakh Seventy Thousand only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.N.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation/ felling of 921 nos. of trees i.e 9210 number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at site –I, additional railway land Near Yamuna Bank (4500 tree saplings) & same project site (4710 tree saplings).	9210	5,18,70,000 /-	Deputy Conservator of Forests (Central)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 885 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at the same project site with their own funds.			

2. 100% Compensatory Plantation of 9210 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. 9210 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling/ transplantation 921 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within six months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
4. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three (03) months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
5. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
6. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).
7. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.
8. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating felling/ transplantation.
9. User Agency shall be responsible to arrange to maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the Tree Officer (Central) at the end of every financial year.
10. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating transplantation/ felling.
11. The User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.

12. Permission for transplantation/ felling of 921 trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
13. The transplantation shall be carried out prior to felling of 36 nos. of trees permitted herein. The 36 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 885 trees and submission of compliance certificate to DCF (Central).
14. Before removal of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
15. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
16. The progress report of transplantation/ felling shall be submitted through inspection officer to concerned Tree Officer along with complete details of trees.
17. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled/ transplant till the same is abandoned by the birds.
18. Transplantation/ felling of any tree apart from 921 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
19. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
20. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (Central) by User Agency.
21. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (Central) by User Agency.
22. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
23. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
24. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Environment & Forests)